an>

Title: Need to include people belonging to 'Lohar' caste of Bihar in the list of Scheduled Tribes.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) ः मैं सरकार का ध्यान बिहार में लोहार जाति के साथ हो रही उपेक्षा की ओर दिलाना चाहता हूँ। बिहार में लोहार जाति की संख्या लगभग 22 लाख है। लोहार जाति के लोग वर्ष 1931 से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करते रहे हैं, वर्ष 1976 में पारित एक्ट संख्या 108/1976 के आधार पर जो अनुसूचित जनजातियों की सूची बनी, उस सूची में भी एस.टी. श्रेणी में लोहार का नाम अंकित है और उस सूची के अनुसार लोहार जाति का एस.टी. का जाति प्रमाण पत्र भी जुलाई 2007 तक मिलता रहा परंतु यू.पी.ए.-1 सरकार के दौरान पारित एक विवादास्पद एक्ट 48/2006 के कारण लोहार का अंग्रेजी स्पेलिंग में नामकरण ""लोहारा"" कर दिया गया। जबकि बिहार में लोहारा नाम से कोई जाति ही नहीं है। पिछले 8 वर्षों से मूलतः आदिवासी ""लोहार"" जाति का संवैधानिक हक छीना गया है। एस.टी. का जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से बिहार में लोहार न तो अति पिछड़ा की श्रेणी में है और न ही एस.टी. की श्रेणी में सम्मिलित हैं। जिस कारण इस समाज के लोग आरक्षण के लाभ से वंचित हैं तथा आर्थिक, शैक्षणिक एवं रोज़गार की दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक्ट संख्या 48/2006 में संशोधन कर लोहार जाति को एस.टी. की श्रेणी में शामिल करने की कार्यवाही की जाये, जिससे वर्षों से आरक्षण से वंचित लोहार समाज के लोगों का आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास संभव हो सके।